



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक-जे0एन0सी0यू0/सा0प्र0/10484/2026

दिनांक: 05 सितम्बर, 2026

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

सेवा में,

01. निदेशक शैक्षणिक,
विश्वविद्यालय परिसर।

02. प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषय:-दिनांक: 17 सितम्बर, 2026 को माननीय प्रधानमन्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर विश्वविद्यालयों/संस्थानों में एच0पी0वी0 वैक्सीन लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या: ई-6031/32-जी0एस0/2026, दिनांक: 03 सितम्बर, 2026 (संलग्नक-1) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चिकित्सा अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या: 1492/पाँच-9-2026, दिनांक: 31 अगस्त, 2026 (संलग्नक-2) द्वारा उत्तर प्रदेश में **14 वर्षीय पात्र बालिकाओं को एच0पी0वी0 वैक्सीन** से आच्छादित कर नया कीर्तिमान स्थापित करने तथा बालिकाओं का **"सुरक्षित कल"** सुनिश्चित किये जाने के दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं।

तत्क्रम में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में अपने महाविद्यालय में **कम-से-कम 10 छात्राओं को एच0पी0वी0 वैक्सीन** लगवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा **वैक्सिनेशन रिकार्ड प्रत्येक दशा में दिनांक: 17 सितम्बर, 2026 तक अनिवार्यरूपेण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें**, जिससे शासन को तदनुसार संसूचित किया जा सके।

टिप्पणी:- एच0पी0वी0, वैक्सिनेशन से सम्बन्धित किसी भी सहायता हेतु डॉ0 शशि प्रकाश, एच0पी0वी0 वैक्सिन अधिकारी, जिला चिकित्सालय, बलिया (मो0नं0-9141070702) से सम्पर्क स्थापित किया जाना समीचीन होगा।

संलग्नक-यथोक्त।



डॉ0 (स्मिता),
समन्वयक,
एच0पी0वी0 वैक्सिनेशन


(एस0एल0 पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. माननीय कुलपति जी।
2. डॉ0 शशि प्रकाश, एच0पी0वी0 वैक्सिन अधिकारी, जिला चिकित्सालय, बलिया।
3. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
4. सम्बन्धित पत्रावली।


कुलसचिव

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ-226027

संख्या:ई-6031/32-जी.एस./2025

दिनांक: 03 सितम्बर, 2026

प्रेषक:

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी,
(अपर मुख्य सचिव स्तर), उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

कृपया चिकित्सा अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1491/पाँच-9-2026 तथा संख्या-1492/पाँच-9-2026 दिनांक 31.08.2026 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. उपर्युक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा टी.बी. के कुल कितने मरीजों को पोषण पोटली का वितरण किया जाना है तथा एच.पी.वी. वैक्सीनेशन हेतु दिनांक 03.08.2026 से दिनांक 17.09.2026 तक कुल कितना वैक्सीनेशन लगाया जाना प्रस्तावित है, की सूचना इस सचिवालय को दिनांक 10.09.2026(गुरुवार) तक ई-मेल <dseducationsecup@gmail.com> पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(डॉ. सुधीर एम. बोंबडे)

य.व.

भा.प्र.से.(से.नि.)

कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
(अपर मुख्य सचिव स्तर)

संलग्नक:यथोपरि।

संख्या-1492/पॉच-9-2026

प्रेषक,

अमित कुमार घोष,

अपर मुख्य सचिव,

उओप्रओ शासन।

सेवा में

- 1- समस्त मंडलायुक्त उओप्रओ।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उओप्रओ।
- 3- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उओप्रओ।
- 4- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उओप्रओ।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक

31-08-2026

विषय-उत्तर प्रदेश में दिनांक 03 अगस्त से 17 सितम्बर 2026 के मध्य 14 वर्षीय पात्र बालिकाओं को एच०पी०वी० वैक्सीन से आच्छादित कर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करने तथा बालिकाओं का "सुरक्षित कल" सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक लांच के बाद प्रदेश के समस्त जनपदों में 14 वर्ष की किशोरियों (जिनका 14 वाँ जन्मदिन मनाया जा चुका हो एवं 15 वाँ जन्मदिन शेष हो) को गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर से बचाव हेतु एच०पी०वी० (Human Papilloma Virus) टीकाकरण की गतिविधियाँ संचालित हैं। प्रदेश की राज्यपाल महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से दिनांक 03 अगस्त से 17 सितम्बर 2026 के मध्य सर्वाधिक एच०पी०वी० टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान स्थापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उओप्रओ के पत्र संख्या-1044734/NHMUP-RI0GENR(PORT)/1/2026-RI-NHMUP, दिनांक 03-08-2026 एवं पत्र संख्या-1044734/NHMUP-RI0GENR(PORT)/1/2026-RI-NHMUP, दिनांक 24-08-2026 के माध्यम से दिनांक 03 अगस्त से 17 सितम्बर 2026 के मध्य राज्य में अभियान चलाकर शत-प्रतिशत समस्त पात्र 14 वर्ष आयुवर्ग की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाव हेतु एच०पी०वी० वैक्सीन से आच्छादित करने हेतु निर्देश निर्गत किये गए हैं। इस सम्बन्ध में विश्व कीर्तिमान स्थापित किये जाने के दृष्टिगत निम्न गतिविधियाँ अपेक्षित हैं:-

1- राज्य स्तरीय गतिविधियाँ -

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इस अभियान हेतु नोडल होंगी। उनकी अध्यक्षता में स्थापित कमांड सेंटर में महानिदेशालय एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा जनपदों को आवश्यकतानुसार एच०पी०वी० वैक्सीन उपलब्ध कराते हुए जनपदों की तैयारियों तथा अभियान की दैनिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। कमांड सेंटर द्वारा समय समय पर जनपदों के साथ वी०सी० के माध्यम से टीकाकरण गतिविधियों की समीक्षा कराने के साथ ही प्रत्येक दिन की उपलब्धि से उच्चाधिकारियों को अवगत भी कराया जायेगा।

2- मण्डल स्तरीय गतिविधियाँ -

प्रत्येक मण्डल के मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इस अभियान हेतु नोडल होंगे। उनके द्वारा सम्बंधित मण्डलायुक्त के पर्यवेक्षण में जनपदों में अभियान की प्रतिदिन की गतिविधियों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जाएगा।

3- जनपद स्तरीय गतिविधियाँ -

- प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी इस अभियान हेतु नोडल होंगे। उनके द्वारा जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में जनपद में अभियान की प्रतिदिन की गतिविधियों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जाएगा।
- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्थापित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक एवं आवश्यकतानुसार अन्य बैठक कर अन्तर्विभागीय समन्वय तथा अभियान सम्बन्धी आवश्यक तैयारियाँ, उपलब्धियों की समीक्षा एवं रणनीतिक निर्णय लिए जाए।
- स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं यथा- डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, यूएनडीपी, जेएसआई एवं यूपीटीएसयू आदि के प्रतिनिधियों से सहयोग लिया जाये। उनके द्वारा यथा संभव अभियान के प्रचार प्रसार, माता पिता एवं अभिभावकगण में एच०पी०वी० टीकाकरण के प्रति जनजागरूकता तथा एच०पी०वी० वैक्सीन के प्रति स्वीकार्यता बढ़ाकर शत प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाये।

4- तहसील स्तरीय गतिविधियाँ -

- प्रत्येक तहसील में क्षेत्रीय अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी इस अभियान हेतु नोडल होंगे। उनके द्वारा उप जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में अभियान की गतिविधियों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जाएगा।
- उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तर पर तहसील स्तरीय कार्ययोजना तथा उसका अनुश्रवण करते हुए अपेक्षित उपलब्धियाँ प्राप्त की जाए।

5- ब्लॉक स्तरीय गतिविधियाँ -

- प्रत्येक ब्लॉक में चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी इस अभियान को नेतृत्व प्रदान करेंगे। उनके द्वारा बीपीएम, बीसीपीएम, एच०ई०ओ०, सहयोगी विभागों, पार्टनर्स एवं पर्यवेक्षकों के सहयोग से अभियान की गतिविधियाँ सम्पादित करायी जायेंगी।
- विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर के खतरों एवं उससे बचाव के लिए उपलब्ध एच०पी०वी० वैक्सीन की महत्ता के विषय में जागरूक किया जाए। साथ ही केवल 14 वर्ष की बालिकाओं को निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र/टीकाकरण सत्र स्थल पर एच०पी०वी० टीकाकरण के लिए जाने हेतु प्रेरित किया जाए। टीकाकरण के लिए बालिकाओं को उक्त अवधि में किसी एक दिन का अवकाश भी दिया जा सकता है।
- सभी आशा/मोबिलाइजर अपने क्षेत्र के लाभार्थियों एवं उनके अभिभावकों के साथ अंतर-वैयक्तिक संवाद स्थापित करें और उनको एच०पी०वी० टीकाकरण के महत्त्व के बारे में बताते हुए टीकाकरण कराने के लिए निर्धारित टीकाकरण दिवस एवं स्थल के सम्बन्ध में सूचित करें।
- आशाओं द्वारा सर्वे कर लाइन लिस्टेड समस्त पात्र किशोरियों जिनको अभी तक एच०पी०वी० टीके से आच्छादित नहीं किया गया है, को शीघ्रातिशीघ्र यूविन पोर्टल पर <https://uwin.mohfw.gov.in/> रजिस्टर करने के लिए प्रेरित किया जाये अथवा वे स्वयं प्रि-रजिस्टर करें।
- आशाओं द्वारा अभियान अवधि दिनांक 03 अगस्त से 17 सितम्बर 2026 के मध्य टीकाकरण हेतु मोबिलाइज करने के लिए लक्षित लाभार्थियों की ड्यू लिस्ट तैयार रखी जाए।
- ऐसे नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर आशा उपलब्ध नहीं हैं, में सीओएचओ, एओएनओएमओ एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सेवायें प्राप्त कर लक्षित लाभार्थियों का प्रि-रजिस्ट्रेशन तथा भौतिक ड्यू लिस्ट तैयार रखी जाए।

- अभियान अवधि के मध्य एच०पी०वी० टीकाकरण के लिए इस प्रकार माइक्रोप्लान तैयार कर लिया जाए कि प्रत्येक सत्र पर टीकाकरण कर्मी, मोबिलाइजर, पर्यवेक्षक तथा ए०ई०एफ०आई० प्रबंधन हेतु एनाफायलेक्सिस/ए०ई०एफ०आई० किट तथा चिकित्साधिकारी आदि की व्यवस्था उपलब्ध हो।
- पात्र लाभार्थियों को जिला चिकित्सालय, सी०एच०सी०, पी०एच०सी०, एच०डब्ल्यू०सी०/उपकेन्द्र स्तरीय समस्त नियमित टीकाकरण प्लेटफार्म पर मोबिलाइज किया जाये। इस प्रकार दिनांक 03 अगस्त से 17 सितम्बर 2026 के मध्य एच०पी०वी० टीकाकरण सत्रों पर शत-प्रतिशत शेष पात्र किशोरियों का संतृप्तिकरण सुनिश्चित किया जाये।
- चूंकि यह टीकाकरण 14 वर्षीय किशोरियों का है। अतः उनके अभिभावकों की सहमति अत्यन्त आवश्यक है। टीकाकरण सत्र पर मोबिलाइजेशन के पूर्व माता/पिता को टीके के बारे में पहले से ही बताकर टीकाकरण सत्र पर प्रत्येक लाभार्थी के टीकाकरण से पूर्व उनकी सहमति प्राप्त कर ली जाए।
- एच०पी०वी० टीकाकरण यूविन पोर्टल पर डिजिटाइज किया जा रहा है। अतः प्रत्येक लाभार्थी का टीकाकरण पूर्व पंजीकरण तथा टीकाकरण के पश्चात रियल टाइम आधारित यूविन पोर्टल पर अद्यतन किया जाना सुनिश्चित की जाए।
- जनपद को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष आच्छादित लाभार्थियों के टीकाकरण कवरेज की दैनिक समीक्षा करते हुए उक्त अवधि में शीघ्रातिशीघ्र लक्ष्य प्राप्ति के समग्र प्रयास किए जाए।
- जन जागरूकता एवं जन समुदाय में वैक्सीन कांफिडेंस के बढ़ाने के दृष्टिगत इस अभियान की समस्त गतिविधियों का प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर यथा संभव वृहद् प्रचार प्रसार किया जाये। आवश्यकतानुसार जन प्रतिनिधियों एवं विविध धर्मों के धर्म गुरुओं आदि का भी सहयोग लिया जाये।
- चूंकि इस वृहद् कार्यक्रम का मूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा किया जाना है। अतः कार्यक्रम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए एवं टीकाकरण सम्बन्धी समस्त दस्तावेज (दिशा-निर्देश, प्रचार-प्रसार सामग्री, फोटोग्राफ्स एवं विडियोज, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कवरेज आदि को सुरक्षित रखा जाये।

6- एच०पी०वी० टीकाकरण से संबंधित अन्य बिन्दु:-

- लक्षित लाभार्थी- 14 वर्ष आयु की बालिकाएँ (जिनका 14 वाँ जन्मदिन मनाया जा चुका हो एवं 15 वाँ जन्मदिन मनाना शेष हो)।
- अपवर्जन (Exclusion Criteria) -
निम्नलिखित बालिकाओं को टीका नहीं लगाया जाएगा:-
 - मध्यम या गंभीर बीमारी से पीड़ित बालिकाएँ (पूर्ण स्वस्थ होने तक टीकाकरण स्थगित किया जाएगा)।
 - जिनको किसी पूर्व टीकाकरण से गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया हुई हो या यीस्ट से एलर्जी हो।
 - गर्भवती बालिकाएँ
 - लक्षित आयु वर्ग से बाहर की बालिकाएँ।
 - जिन बालिकाओं को पूर्व में HPV टीका (Gardasil 4/ Gardasil 9/ Cervarix/ Cervavac) लगाया जा चुका है। उनके टीकाकरण की स्थिति UWIN पोर्टल पर अद्यतन की जाएगी।

➤ टीके का नाम एवं भंडारण

- टीका: Gardasil (Quadrivalent- 6, 11, 16, 18)

- प्रस्तुति: सिंगल डोज वायल (VVM-30 सहित)
- भंडारण तापमान: 2°C से 8°C ILR में (यह टीका फ्रीज संवेदनशील है।)

➤ खुराक एवं देने की विधि

- खुराक: 0.5ml
- मार्ग: इंट्रामस्क्यूलर (IM)
- स्थान: बाएँ ऊपरी बांह
- खुराक : एकल

➤ टीकाकरण सत्र स्थल-

- जिला चिकित्सालय, सी०एच०सी०, पी०एच०सी०, एच०डब्ल्यू०सी० आदि समस्त नियमित टीकाकरण प्लेटफार्म पर।

➤ सत्र का समय-

- टीकाकरण सत्र सामान्यतः प्रातः 09.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे (अथवा लाभार्थियों के रहने) तक आयोजित किए जाएंगे।
- स्थानीय आवश्यकता के अनुसार सार्वजनिक अवकाश एवं सप्ताहांत में सत्र आयोजित किया जा सकता है।

➤ AEFI रोकथाम हेतु सावधानियाँ

टीकाकरण से पूर्व:

- सुनिश्चित करें कि बालिका खाली पेट न हो।
- अभिभावकों को टीकाकरण से पूर्व भोजन कराने हेतु सूचित करें।

टीकाकरण के पश्चात:

- लाभार्थी को कम से कम 30 मिनट तक सत्र स्थल पर अवलोकन में रखा जाए।
- देखरेख कक्ष में अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाए।
- भीड़भाड़ से बचाव किया जाए।

➤ AEFI प्रबंधन

HPV टीका सामान्यतः सुरक्षित है। संभावित सामान्य प्रतिक्रियाएँ-

- इंजेक्शन स्थल पर दर्द, सूजन या लालिमा।
- बुखार, सिरदर्द, थकान, चक्कर या मतली।

प्रबंधन हेतु:

- पैरासिटामोल टैबलेट देना।
- पर्याप्त तरल पदार्थ देना।
- इंजेक्शन स्थल पर ठंडी सिकाई।

अतिरिक्त प्रावधान:

- सभी सत्र स्थल निकटतम 24X7 स्वास्थ्य संस्थान से संबद्ध होंगे।
- सभी सत्र स्थलों पर AEFI/ Anaphylaxis किट उपलब्ध होगी।
- टीकाकरण स्थल पर स्थानीय हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया जाए।
- टीकाकरण पश्चात प्रत्येक बालिका का फालोअप अवश्य किया जाये।
- टीकाकरण में प्रतिष्ठित एन०जी०ओ० का सहयोग लिया जाय।

➤ सहमति (Consent)

- HPV टीकाकरण स्वैच्छिक है।

- टीकाकरण से पूर्व अभिभावक/संरक्षक की सहमति अनिवार्य है।
- सहमति UWIN पोर्टल पर या इंटरनेट उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित प्रारूप में लिखित रूप में ली जाएगी।
- टीकाकरण अभियान अवधि- दिनांक 03 अगस्त से 17 सितम्बर 2026
- टीकाकरण टीम-
 - टीका कर्मी : ANM/LHV/Staff Nurse
 - मोबिलाइजर: ASHA/ AWW/ Link Worker
 - अन्य स्वयंसेवक: NGO /MAS/JAS/Health Staff
- पंजीकरण एवं प्रमाणपत्र-
 - लाभार्थी UWIN पर स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं।
 - स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।
 - ऑन-साइट पंजीकरण भी किया जा सकता है।
 - टीकाकरण प्रमाणपत्र की सॉफ्ट कॉपी UWIN से जारी की जाएगी।
 - आवश्यकतानुसार हार्ड कॉपी भी प्रदान की जाए।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म - UWIN / eVIN का उपयोग-
 - पंजीकरण रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग हेतु UWIN पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।
 - टीका स्टॉक एवं लॉजिस्टिक्स की निगरानी eVIN portal के माध्यम से की जाएगी।
- IEC सामग्री-
 - HPV टीकाकरण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए MoHFW द्वारा विकसित IEC सामग्री जैसे:- पोस्टर बैनर स्टैंडी रेडियो/ऑडियो जिंगल का उपयोग किया जाए।

7- विशेष 8 आकांक्षी जनपदों हेतु -

माननीय राज्यपाल महोदय की प्रेरणा एवं मार्ग दर्शन में प्रदेश के 08 आकांक्षी जनपदों (सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, चित्रकूट, चन्दौली, सोनभद्र एवं फतेहपुर) में 9 से 13 वर्ष 6 माह तक की बालिकाओं को CERVAVAC (Quadrivalent -6, 11, 16, 18) एच०वी०पी० वैक्सीन के टीकाकरण से लाभान्वित किया जा रहा है। इस अवधि में उपरोक्त लाभार्थियों का टीकाकरण भी विश्व कीर्तिमान में सम्मिलित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिनांक 03 अगस्त से 17 सितम्बर 2026 के मध्य 14 वर्षीय पात्र बालिकाओं को एच०पी०वी० वैक्सीन से आच्छादित कर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करने तथा बालिकाओं का "सुरक्षित कल" सुनिश्चित के सम्बन्ध में उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Digitally signed by

AMIT KUMAR GHOSH (अमित कुमार घोष)

Date: 31-08-2026 16:49:18 अपर मुख्य सचिव

संख्या-1492(1) पॉच-9-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल, (अपर मुख्य सचिव स्तर), उ०प्र०।
- 2- अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
- 4- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०।
- 5- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र०।
- 6- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०।
- 7- महानिदेशक परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- 8- महानिदेशक, स्कूली शिक्षा, उ०प्र०।
- 9- राज्य प्रतिनिधि-डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, यूएनडीपी, जेएसआई, रोटरी एवं यूपीटीएसयू, उ०प्र०।
- 10- राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी, परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- 11- महाप्रबंधक नियमित टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
- 12- समस्त जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, उ०प्र०।
- 13- राज्य प्रतिनिधि-डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, यूपीटीएसयू, यूएनडीपी, जेएसआई एवं रोटरी उ०प्र०।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by

RAVI RANJAN

Date (रवि-रंजन) 04:26

विशेष सचिव।